



मुल वाद में अन्तिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा**

पीठासीन अधिकारी:— चम्पालाल जीनगर, RAS

तीरथमल अहीर वगैराह  
उनवान  
बनाम  
मदनलाल अहीर वगैराह

दावा बाबत:— बंटवारा बाबत।

मुकदमा नम्बर:— 26/2017 वाद

निर्णय दिनांक:— 27.02.2018

लोक अदालत कैम्प कोर्ट फाचर अहीरान में दिनांक 07.06.2017 को इस वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/बी/170, दिनांक 22.07.2017 द्वारा फर्द विभाजन प्रस्तुत किया है जो माफिक आदेशानुसार है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि का बंटवारा फरिकेन के मध्य निम्नानुसार किया जाता है:—

1— मदनलाल पिता मगनीराम अहीर, सा. फाचर अहीरान के रहेगी:—

ग्राम फाचर अहीरान की आराजी:—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
132	0.3500	6.65
228	0.0600	1.14
1004	0.2300	4.37
1013	0.2600	4.94
341	0.1100	4.62

.....  
कुल किता 2 कुल रकबा 1.0100 हेक्टेयर कुल लगान 21.72 रूपये  
.....

ग्राम पीरखेड़ा की आराजी:—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
120	0.2500	4.75

2— तीरथमल पिता मगना अहीर, सा फाचर अहीरान के रहेगी (ग्राम फाचर अहीरान की आराजी):—

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
1003	0.0100	—
1004	0.2300	4.37
1013	0.2500	4.75
341	0.1100	4.62

.....  
कुल किता 4 कुल रकबा 0.6000 हेक्टेयर 13.74 रूपये  
.....

ग्राम पीरखेड़ा की आराजीयात:-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
120	0.2500	4.75

3- श्रीमती सुशीला बाई पत्नी तीरथमल अहीर निवासी फाचर अहीरान के रहेगी-  
फाचर अहीरान की आराजीयात-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
131	0.0100	गे.मु. चाह
132	0.3500	6.65
228	0.0500	0.95

.....  
कुल किता 3 कुल रकबा 0.4100 हेक्टेयर कुल लगान 7.60 रूपये  
.....

4- श्री मदनलाल पिता मगनीराम 1/2 सुशीलाल बाई पत्नी तीरथमल अहीर, सा. फाचर अहीरान-

ग्राम फाचर अहीरान की आराजी-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
228	0.0200	0.0200

5- श्री मदनलाल 1/2 तीरथमल 1/2 अहीर सा. फाचर अहीरान:-

ग्राम फाचर अहीरान की आराजी-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
341	0.030	1.26

6- श्री तीरथमल 1/2, मदनलाल 1/2 पिता मगना अहीर सा, फाचर अहीरान के रहेगी:-

ग्राम पीरखेड़ा की आराजीयात-

आराजी नं.	रकबा हेक्टेयर में	लगान रूपये में
120	0.0100	0.19

उपर्युक्तानुसार एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में अंकित अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। बैंक रहन सम्बन्धित खातेदार के हिस्से पर अंकित किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 27.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(चम्पालाल जीनगर)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा